संयुक्त संचालक उद्यान एवं प्रक्षैत्र वानिकी

संभाग भोपाल

पता :-12 दफ्तर पी.डब्ल्यू. डी. शेड जवाहर चौक भोपाल..............

फोन नं. 07552770889 फैक्स नं. 07552770889......

ई-मेल : .. jdhbhopal@gmail.com .....

प्रमाणित सब्जी बीजों के प्रदेश स्तर पर क्रय हेतु निविदा सूचना–

वर्ष 2016–17 बाड़ी किचिन गार्डन योजना के अंतर्गत प्रमाणित सब्जी बीज जिसकी किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) हो जिसमें कि भिण्डी आवश्यकतानुसार , लौकी .88.80 क्विंटल ,करेला 40.51 क्विंटल, गिलकी 71.91 क्विंटल, बरबटी 91.80 क्विंटल, पालक 160.55 क्विंटल, कद्दू 13.303 क्विंटल के क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा कर्ता उपरोक्त प्रमाणित बीजों में से किसी भी एक फसल की उपलब्ध मात्रा हेतु एवं समस्त बीज की उपलब्धता हेतु भी निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जो कि विभाग के नियम व शर्तों को पूर्ण करता हो।

निविदा फार्म नियम व शर्तों सहित 1000 रूपये के बैंक ड्राफ्ट जो कि विभाग की मांग अनुसार छोटी पैकिंग में लिये जाऐंगे। संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग भोपाल के नाम से देय हो अथवा नकद भुगतान कर कार्यालयीन समय पर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 04.06.2016 को समय दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3 बजे निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी। निविदा की समस्त शर्तें निविदा फार्म में उल्लेखित की गई है तथा निविदा फार्म विभाग की वेबसाईट **www.mphorticulture.gov.in** से भी डाऊनलोड की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

प्रदेश स्तर पर प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार है।

1. अमानत राशि रूपये 1,00,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, संभाग भोपाल के नाम से देय होगा जो कि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा । अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी।
2. निविदाकारों की जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होंगी, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निविदाकर्ता को अनुबंध के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि अनुबंध के समय अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जावेगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. उपरोक्त बीजों की दरें F.O.R. विकास खण्ड स्तर पर पहुँचाकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण–पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेंगा, उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. बाड़ी किचिन गार्डन हेतु बीजों की पैंकिंग विभाग की मांग अनुसार लगभग 5 ग्राम से 100 ग्राम तक छोटे पैकेट तैयार कर प्रदाय करना होगा जिसका प्रपत्र एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा विवरण बीज प्रदायगी आदेश देते समय दिया जायेगा। तदअनुसार चाही गई छोटी पैकिंग में प्रदायगी सुनिश्चित करना होगी। पैकिंग का अलग से कोई भी अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
6. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) है उन्हीं फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जायेंगे।
7. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।
8. जिन निविदाकारों की फसलवार प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होगीं, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जावेगी तो उस स्थिति में द्वितीय, तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम या द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
9. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान से कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि जांच में सही पायी जाती है तो उसका निराकरण स्वयं प्रदायकर्ता को करना होगा।
10. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

11. जिन निविदाकारों की दरें अनुमोदित की जायेगी उन्हें शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 2 लाख अग्रिम अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।
12. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें केवल **रूपये प्रति कि0ग्रा0** में प्रस्तुत की जावेगी।
13. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे।
14. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंको में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।
15. 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट–1 के अनुसार दिया जाना होगा जो कि नोटरी द्वारा नोटराइज्ड कराकर देना होगा।
16. निविदाओं में दी गई प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलनें के पश्चात् समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात् तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम माँग निश्चित की जायेगी।
17. जिन लॉटो के बीजों की प्रदायगी की जावेगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।
18. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।
19. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नहीं प्रदाय किया जावेगा। तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
20. प्रदाय की जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रूप से देना होगा।
21. निविदाकर्ता निविदा में दी गयी बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीजों की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तो के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग भोपाल को होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

23. वर्तमान में भिण्ड़ी बीज की आवश्यकता नहीं है , लेकिन भविष्य में आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त मात्रा अनुमानित है जो कम या ज्यादा हो सकती है।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र संभागीय न्यायालय होगा।

25. जिन निविदा कर्त्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध 3 दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्त्ता को करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्योरिटी राशि जमा कराना होगी।

26. यह दरें पूरे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लागू होगी। जो दरे निर्धारित होंगी उन्ही दरों पर अन्य योजनाओं में भी यदि प्रमाणित सब्जी बीजों की आवशकता होगी तो बीज प्रदाय करना होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल
18/5/2016